संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर भरती की जाती है, वरिष्ठता का निर्धारण आयोग द्वारा निश्चित किये गये योग्यता-क्रम के अनुसार होता है। पहले के चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों को बाद में होने वाली परीक्षा के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ माना जाता है बशर्ते कि जहां कहीं आरम्भ में स्थायी आधार पर भरती किये गये व्यक्ति बाद में अपनी नियुक्ति के समय दिये गये योग्यता क्रम की बजाय किसी और क्रम से स्थायी किये जाते हैं वहां वरिष्ठता स्थायित्व के क्रम पर आधारित होती है न कि मूल योग्यता-क्रम पर। इस प्रकार किसी प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किसी पद/सेवा में नियुक्त होने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता जो पहले से सरकारी सेवा में हो, सेवावधि के आधार पर निर्धारित नहीं की जाती।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाएं किसी पद/सेवा में भरती के लिये उम्मीदवारों की योग्यता का तुलनात्मक अनुमान लगाने के लिये ली जाती है, और इसलिये किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा की अवधि का, जो ऐसी परीक्षा में बैठता है, उसके सरकारी सेवा से बाहर तथा सरकारी सेवा में पहले से नियुक्त व्यक्तियों के साथ भी तुलनात्मक योग्यता-क्रम के निर्धारण के साथ सम्बन्ध नहीं है।

वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्

3252. **श्री यु० द० सिंह :**
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री काशी राम गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री 30 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3005 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ कर्मचारी परिषद् की इस बीच पहली बैठक हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य निर्णय किये गये ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) बैठक के कार्य-वृत्त की प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल टी—6895/66]**

Educated Unemployment in Kerala

3253. **Shri P. Kunhan:**
Shri Vasudevan Nair:

Will the **Minister of Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that unemployment among the educated section of the middle and lower classes is on the increase in Kerala;

(b) if so, the percentage of increase during the past ten years; and

(c) the measures taken to remedy this situation?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Information is not available.

(b) and (c). Do not arise.

Berhampur H.P.O.

3254. **Shri Mohan Nayak:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Berhampur Head Post Office is housed in a rented building;

(b) if so, since whether; and

(c) the amount being paid per month towards the rent?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao):

(a) Yes.

(b) May, 1959.

(c) Rs. 500.

Building for Berhampur H.P.O.

3255. **Shri Mohan Nayak:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to construct a new building for Berhampur Head Post Office in Orissa State;

(b) if so, the amount sanctioned for the same; and

(c) when the work will begin?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao): (a) Yes, Sir. It is proposed to construct a combined building for the Berhampur Head Post Office, Departmental Telegraph Office and Office of the Superintendent of Post Offices.

(b) Rs. 8,13,500.

(c) A compound wall is already under construction and the construction of the building will be taken up soon as practically all the formalities preliminary to the execution of the project have been completed.

मंत्रालयों में आशुलिपिक स्टेनोग्राफर

3256. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री मधु लिमये :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में नियोजित अंग्रेजी और हिन्दी के आशुलिपिकों (स्टेनोग्राफर) की पृथक-पृथक् संख्या क्या है;

(ख) क्या दोनों भाषाओं के आशुलिपिकों की वरिष्ठता सामुहिक रूप से निर्धारित की जाती है और उसी के अनुसार उनकी पदोन्नति की जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) हिन्दी आशलिपिकों के इक्के-दुक्के पद मंत्रालयों की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बनाये गये हैं और इस लिये उन्हें मंत्रालयों द्वारा एतदर्थ आधार पर भरने की अनमति दी जाती है । दूसरी ओर अंग्रेजी के (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेणी II आशुलिपिक संवलोक सेवा आयोग के जरिये भरती किये जाते हैं और एक नियमित संवर्ग के सदस्य होते हैं । इसलिये दोनों भाषाओं के आशुलिपिकों को सामुहिक वरिष्ठता निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Christian Missionaries in India

3257. **Shri Jedhe:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of foreign Christian Missionaries are working in India;

(b) if so, the number of such foreign Christian Missionaries in India as on the 1st of January, 1966 during the last five years (year-wise);

(c) the amounts that have been received by these Missionaries from the foreign countries during the last five years (year-wise and country-wise); and

(d) the number of Hindus that have been converted as Christians during this period?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) and (b). The number of foreign Christian Missionaries registered in India as on 1st of January, 1962, 1963, 1964, 1965 and 1966 was 4,516; 4,314; 4,320; 4,111; and 4,214 respectively.

(c) A statement is laid on the Table of the House [*Placed in Library. See* No. LT-6896/66].

(d) There is no law for the registration of conversions from one religion to another. However, according to the information available, 5,533 persons